



# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट -01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला -गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

PHONE NO:- 0120-2336022 FAX NO :- 0120-2336021

Website:- [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in)

Email id:- [gmfinance@gnida.in](mailto:gmfinance@gnida.in)

पत्रांक :-1608 /वित्त/कार्यालय-आदेश/2022-23

ग्रे०नौ०: दिनांक :- 06 /01<sup>5034</sup>/2023

01/06/2023, 11:30:09

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के सम्बन्ध में ब्याज दर हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या-48829/ग्रे०नौ०/कार्यालय-आदेश/2022-23 दिनांक 11.07.2022 एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2022 के अनुपालन में जारी कार्यालय आदेश-76288/ग्रे०नौ०/कार्यालय-आदेश/2022-23 दिनांक 23.11.2022 के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से ब्याज दरें निम्नवत लागू होगी:-

1. तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस०बी०आई० के एम०सी०एल०आर० दर दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 8.60 प्रतिशत है, जिस पर प्रशासनिक व्यय 1.00 प्रतिशत को शामिल करते हुए अगले 0.5 प्रतिशत के स्तर तक round off करने पर 10.00 प्रतिशत आगणित होता है।
2. समय से देयों को भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिफॉल्ट धनराशि पर डिफॉल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर 03 प्रतिशत अतिरिक्त (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउंडिंग करते हुए) लागू की जाए।

अतः प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों के समस्त देयों पर (आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनीयो को छोड़कर) उपरोक्त शर्तों के अनुसार ब्याज दर 10.00 प्रतिशत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से लागू किया जाता है, जो दिनांक 30 जून, 2023 तक लागू रहेगा।

01 जुलाई, 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR के अनुसार पुनः दरें निर्धारित की जायेगी।

(अमनदीप डुली)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

816  
01/05/20

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०एस०/पी०/वी०) महोदया/महोदय को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ।
4. प्रभारी (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाइल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी